reported that the meetings of the above Committees are being held on regular basis.

महिला अपराध शाखा में दर्ज शिकायतें

827. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिला अपराध शाखा में महिलाओं द्वारा कितनी शिकायतें दर्ज कराई गई और उनका ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1996-97 (30 जून, 1997 तक) के दौरान उपर्युक्त शिकायतों में से कितनी शिकायतें निपटाई गई और इन शिकायतों की अद्यतन राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) क्या ऐसी शिकायतों को समय-सीमा के अंदर निपटाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ फर्जी शिकायतें भी दर्ज की गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो दोषी महिलाओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) महिलाओं द्वारा वापस ली गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (च) भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। केन्द्र सरकार, "महिला अपराध शाखा" में दर्ज हुई शिकायतों और उनकी निपटान संबंधी सूचना नहीं रखती है। यह केवल महिलाओं के प्रति हुए अपराध की घटनाओं की राज्यवार सूचना रखती है। वर्ष 1996 और 1997 के लिए इस संबंध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1996 और 1997 (फरवरी 1997 तक) के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराध की कुल घटनाएं

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1996	1997
राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	9783	1522
2.	अरुणाचल प्रदेश	60	9
3.	असम	1636	230
4.	बिहार	उ०न०	437
5.	गोवा	71	23
6.	गुजरात	3925	616
7.	हरियाणा	2297	340
8.	हिमाचल प्रदेश	816	87
9.	जम्मू और कश्मीर	920	52
10.	कर्नाटक	5293	945
11.	केरल	2776	598
12.	मध्य प्रदेश	15039	2294
13.	महाराष्ट्र	15815	2261
14.	मणिपुर	92	5
15.	मेघालय	25	0
16.	मिजोरम	68	6
17.	नागालैंड	5	0

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1996	1997
18.	उड़ीसा	3059	उ०न०
19.	पंजाब	843	उ०न०
20.	राजस्थान	10803	उ०न०
21.	सिक्किम	63	9
22.	तमिलनाडु	8512	1149
23.	त्रिपुरा	315	49
24.	उत्तर प्रदेश	15652	2178
25.	पश्चिम बंगाल	6176	612
	संघ शासित क्षेत्र		
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23	5
27.	चंडीगढ़	91	14
28.	दादरा और नागर हवेली	17	2
29.	दमन और दीव	उ०न०	उ०न०
30.	दिल्ली	2719	422
31.	लक्षद्वीप	9	0
32.	पांडिचेरी	45	4
	कुल समस्त भारत	106759	13875

Proposal to amend Article 356

828. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to amend Article 356 of the Constitution during the Monsoon Session;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Standing Committee of the Inter-State Council has also made some recommendations on this issue; and

(d) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) The Standing Committee of the Inter-State Council considered the question of amendment of article 356 of the Constitution of India in its meetings held on 15.1.1997, 10.5.1997, 17.6.1997 and 8.7.1997. However, the Standing Committee could not arrive at a consensus. The main points of divergence were as follows:—

(i) Whether the Union Government can issue show cause notice in exceptional circumstances without the Governor's report.

(ii) Need for provision to invoke article 356 without notice if the State Government encourages action posing threat to

(a) Secular fabric of society

(b) national security and integrity.

(iii) Whether approval of Parliament should precede or follow the proclamation.

(iv) Whether approval should be with simple or two-thirds majority.